

रुजिस्टर

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)संथा / मंत्रा / अभि. / 2018 / ३३८०-८१ दिनांक : - ६/३/१८  
प्रेषिति :-

श्री लोकेश कुमार पाटीदार पुत्र श्री दलजी पाटीदार  
170 उपला फला, मु.पो.इन्दौडा,  
तहसील-आसपुर, जिला-झूंगरपुर  
(राज.) पिन-314034

विषय :- दस्तावेजो की जाँच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु. /अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनांक 12.02.2018 एंव 2629 दिनांक 20.02.18 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजो के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनांक 19.02.2018 एंव 21.02.18 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजो का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाइन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजो का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाइन नहीं करने बावत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

  
(रमाकान्त वर्षने)  
उप निदेशक अभियोजन ५६/३/१८  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

रजिस्ट्रेशन

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)संथा / मंत्रा / अभि. / 2018 / ३३७८-७९ दिनांक :- 6/3/18  
प्रेषिति :-

श्री अमित कुमार छंगाणी पुत्र श्री गणेश दास छंगाणी  
बिन्नाणी चौक, बीकानेर  
(राज.) पिन-334001

विषय :- दस्तावेजो की जाँच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु./अनु-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनांक 12.02.2018 एंव 2629 दिनांक 20.02.18 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजो के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनांक 19.02.2018 एंव 21.02.18 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजो का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजो का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करने बावत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

*मुख्यालय*  
(राजस्थान जयपुर)  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

*मुख्यालय*  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

रजिस्ट्रेशन

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)संथा/मंत्रा/अभि./2018/3376-77 दिनांक :- 6/3/18  
प्रेषिति :-

श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री ईश्वर सिंह  
मस्जिद के पीछे, गदावा कॉलोनी पिण्डवाडा,  
तह-पिण्डवाडा, जिला-सिरोही पिन-307022

विषय :- दस्तावेजों की जाँच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु./अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनांक 12.02.2018 एंव 2629 दिनांक 20.02.18 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनांक 19.02.2018 एंव 21.02.18 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्याइन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजों का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्याइन नहीं करने बावत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

*मामूल*  
(रमाकान्त वशिष्ठ)  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

राजस्थान

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)संथा / मंत्रा / अभि. / 2018 / 3374-75 दिनांक : - 6/3/18  
प्रेषिति :-

श्री मनोहर सिंह इन्द्रा पुत्र श्री गायड सिंह  
मकान नं.-110, बी.जे.एस. कॉलोनी,  
मोहन नगर-ए, जोधपुर (राज.) पिन-342001

विषय :- दस्तावेजो की जाँच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु./अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनांक 12.02.2018 एंव 2629 दिनांक 20.02.18 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजो के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनांक 19.02.2018 एंव 21.02.18 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजो का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजो का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करने बावत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

2018  
(रामानन्द वशिष्ठ) 06/3/18  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

रजिस्ट्रेशन

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)संथा / मंत्रा / अभि. / 2018 / 3372-73 दिनांक : - 6/3/18  
प्रेषित :-

श्री अमित कुमार शर्मा पुत्र श्री नेमीचन्द शर्मा  
अमरनाथ कॉलोनी, श्याम मंदिर के पीछे,  
कुए के पास, न्यू मण्डी रोड,  
दोसा (राज.) पिन-303303

विषय :- दस्तावेजो की जाँच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (युप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु. /अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनांक 12.02.2018 एंव 2629 दिनांक 20.02.2018 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजो के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनांक 19.02.2018 एंव 21.02.2018 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजो का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजो का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करने बावत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

*July  
06/3/18*  
(राजकान्त विश्वास)  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

रजिस्ट्रेशन

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)संथा / मंत्रा / अभि. / 2018 / ३३०-७। दिनांक :— ६/३/१८  
प्रेषिति :—

श्री भूपेन्द्र कुमार भाट पुत्र ख. श्री ताराचन्द भाट  
ग्राम—नारदपुरा, पोस्ट—जालसू, वाया—जाहोता,  
तह—आमेर, जिला—जयपुर, (राज.) पिन—303701

विषय :— दस्तावेजो की जाँच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड—द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु./अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनांक 12.02.2018 एंव 2629 दिनांक 20.02.18 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजो के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनांक 19.02.2018 एंव 21.02.18 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजो का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वार्डन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजो का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वार्डन नहीं करने बावत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

(रमाकान्त वशिष्ठ)  
उप निदेशक अभियोजन ०६/३/१८  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

रजिस्ट्रेशन

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)स्था / मंत्रा / अभि. / 2018 / 3368-69 दिनांक : - 6/3/18  
प्रेषिति : -

श्री रामबिलास मीना पुत्र श्री जानकी लाल मीना  
ग्राम-सेमली जागीर पो-बडबद तह-मनोहरथाना  
जिला-झालावाड (राज.) पिन-326033

विषय : - दस्तावेजो की जॉच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु. / अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनांक 12.02.2018 एंव 2629 दिनांक 20.02.18 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजो के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनांक 19.02.2018 एंव 21.02.18 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजो का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजो का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करने बाबत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

*Rajyashikha*  
(रमाकान्त वशिष्ठ)  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

राजस्थान

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)संथा / मंत्रा / अभि. / 2018 / 3366-67 दिनांक :— 6/3/18  
प्रेषिति :—

श्री रवि सिंधी पुत्र श्री जसवन्त सिंधी,  
वार्ड नं.-5 श्री राम कॉलोनी, तह-तिजारा,  
जिला- अलवर (राज.) पिन-301411

विषय :— दस्तावेजो की जाँच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु./अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनांक 12.02.2018 एंव 2629 दिनांक 20.02.18 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजो के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनांक 19.02.2018 एंव 21.02.18 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजो का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्याईन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजो का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्याईन नहीं करने बावत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

*2018*  
(रामानन्द वशिष्ठ)  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)संथा / मंत्रा / अभि. / 2018 / 3364-65 दिनांक :- 6-3-18

प्रेषित :-

श्री नीरज कुमार जांगिड पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जांगिड,  
झालानी बगीची के पीछे,  
देवतवाल कॉलोनी बड़ियाल बॉदीकुई  
जिला-दौसा (राज.) पिन-303313

विषय :- दस्तावेजो की जाँच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु./अनु.-3/2017 जयपुर दिनांक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनांक 12.02.2018 एंव 2629 दिनांक 20.02.18 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजो के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनांक 19.02.2018 एंव 21.02.18 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजो का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजो का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करने बावत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

*Rajy*  
(रामाकान्त वशिष्ठ)  
उप निदेशक अभियोजन 06/3/18  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

*↑*  
उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर

रजिस्टर

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।

क्रमांक सं.3(3)(1)स्था / मंत्रा / अभि. / 2018 / 3362-63 दिनाक : - 6/3/18  
प्रेषित :-

श्री अविनाश कुमार जीनगर पुत्र श्री केशरी चन्द जीनगर,  
श्याम शूज कम्पनी मैन मार्केट लूणकरणसर  
जिला-बीकानेर पिन-334603

विषय :- दस्तावेजो की जाँच एंव चरित्र सत्यापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2013 के चयनित अभ्यार्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)प्र.सु./अनु.-3/2017 जयपुर दिनाक 08.02.2018 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु अभियोजन विभाग आवंटित किया गया है।

आपको निदेशालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 2250-51 दिनाक 12.02.2018 एंव 2629 दिनाक 20.02.18 तथा दूरभाष के द्वारा दस्तावेजो के सत्यापन करवाने हेतु क्रमशः दिनाक 19.02.2018 एंव 21.02.18 को कमरा न. 7226 खाद्य भवन, द्वितीय मंजिल, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर में आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया है। परन्तु आपने अपने शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजो का सत्यापन अभी तक नहीं करवाया गया है तथा ना ही कोई प्रार्थना पत्र लिखित में इस आशय का पेश किया है कि मैं पूर्व में ही जॉब में हूँ तथा आपके विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करना चाहता।

अतः आपको पुनः एक अन्तिम अवसर दिया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब 7 दिवस में दस्तावेजो का सत्यापन करवाये अन्यथा कनिष्ठ सहायक के पद पर ज्वाईन नहीं करने बावत लिखित में प्रार्थना पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपके द्वारा किसी भी उपरोक्त प्रकार से विभाग को सूचित नहीं किये जाने पर आपका आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग को प्रेषित कर दिया जावेगा।

(रमाकान्त वाश्च)   
उप निदेशक अभियोजन (06/03/18)  
(मुख्यालय)

राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार अनु-3 विभाग राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ प्रस्तुत है।

उप निदेशक अभियोजन  
(मुख्यालय)  
राजस्थान जयपुर